तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
.../2021	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीया अधिवक्ता ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया। जो प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थीया वकील उपस्थित। प्रार्थीया अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया। कि प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र में उल्लेखित खसरो का सीमांकन करवाकर पत्थरगढी करने के आदेश हेतु निवेदन किया। अधिवक्ता प्रार्थिनी की बहस पर मनन किया गया। तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थिनी अधिवक्ता द्वारा विवादित आराजी ग्राम उजलिया तहसील बावड़ी के खसरा नं. 3/3 रकबा 1.9516 हैक्टेयर व खसरा संख्या 3/5 रकबा 1.9516 हैक्टेयर के सीमांकन [illegible] का हर्जे से प्रार्थिनी [illegible] हिस्सा अनुसार सीमांकन करवा कर पत्थरगढी करवाना चाहती है। इस संबंध में तहसीलदार बावड़ी द्वारा तहसील	

...क कलेक्टर एवं
...ड अधिकारी, बावड़ी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2022.01.31 14:44:41 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	बावड़ी ऑन लाईन करते वक्त प्रार्थीनी के एक हिस्से के अनुरूप नामान्तरण व तरमीम नहीं होने से प्रार्थीनी द्वारा अपने कब्जा व रेकर्ड अनुसार सीमांकन व पत्थर गडी करवाना चाहती है। प्रकरण के अवलोकन से यह बात निःसंदेह जाहिर होती है कि प्रार्थीनी स्वयं की भूमि की पत्थरगडी बाद सीमांकन करवाने की अधिकारी है। इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। आदेश प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा [illegible] राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम उत्तालिया, तह- बावड़ी के विवादित खसरा संख्या 3/3 व खसरा संख्या 3/4 को प्रस्तुत हुआ। पूर्व में खसरा संख्या 3 विस्तृत भू भाग होने से प्रार्थीनी को आवंटित पट्टा खसरा संख्या 3 में से जारी हुआ था। वर्तमान में तहसील बावड़ी ऑनलाईन होते वक्त खसरा संख्या 3 की तरमीम गलत हो जाने से प्रार्थीया का आवंटन पट्टा खसरा सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	संख्या 3/3 व 3/4 के पास में होने से उनका सही भू-भाग नहीं दर्शाता है। तहसीलदार बावड़ी को ग्राम उत्तालिया के खसरा संख्या 3/3 व 3/4 का सीमांकन करते हुए प्रार्थीनी को अपने कब्जा सुपुर्द करते हुए पत्थरगडी करने के आदेश दिये जाते है। वक्त पत्थर गडी करते समय आवश्यकता पड़ने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद तहसीलदार बावड़ी प्राप्त करें। निर्णय आज प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 में मजमे आम सुनाया गया। तहसीलदार बावड़ी को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2022.01.31 14:44:41 IST
Reason: SelfAttested